बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–08/2024–   पटना, दिनांक–   /   /2026

डा० सजय कुमार, प्राध्यापक–सह–विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनाक–**07.06.2026 से 17.06.2026** तक की अवधि मे विदेश (लदन) की यात्रा के लिए निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. **डा० कुमार,** विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से सबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेगे।
3. **डा० कुमार**, इस यात्रा मे होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेगे।
4. **डा० कुमार,** विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि मे अपने कार्यो के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
5. **डा० कुमार**, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तो के अधीन दंड के भागी होगे।
6. **डा० कुमार**, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/एल 1–08/2024–605(17)   **/पटना, दिनांक–**29 / 05 **/2026**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० संजय कुमार, प्राध्यापक–सह–विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 29/05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir /Passport